न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 10/**2016**
GCMS No-2016/00279

प्रार्थीः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जोन अजमेर

1. श्री अशोक राजपुरोहित पुत्र मूलसिंह राजपुरोहित (विक्रेता) मैसर्स मॉ जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल
2. रेवन्तसिंह पुत्र जवाहरसिंह (मालिक) मैसर्स— मॉ जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल, पाली
3. मैसर्स मॉ जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्राथी अधिवक्ता अनुपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 24-5-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाजे दिलवाई पर परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 7.11.2015 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मां जोधपुर स्वीट्स सुरजपोल पाली पर पहूंचा तथा अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। फर्म पर अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित मिला। फर्म का निरीक्षण करने पर वहां एक पीपे में 8—10 किलोग्राम खोया बेचने हेतु रखा हुआ था जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह की उपस्थिति में विक्रेता को इसकी सूचना जरिये प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को यह बता दिया था कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूॅ। प्रपत्र 5ए पर मेरे विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 180/— नकद देकर 1 किलो खोया वास्ते जांच खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की। रसीद पर मेरे विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये। इन चार भागो के चार लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर **आर—428** अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी विक्रेता व गवाहन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट को मेरे स्वयं के द्वारा खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर में वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिये गये खोया के नमूने को अमानक Sub-standard का होना बताया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ Sub-standard खोया का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राज.)

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 7.11.2015 को अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म से खाद्य पदार्थ खोया क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या **आर–428** अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./974/एक्ट/2015/940 दिनांक 20.11.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या **आर–428** को Sub-standard माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard खाद्य पदार्थ खोया का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्राथीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 24-5-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली